कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–धमतरी (छ.ग.)

E-mail add: zp-dhamtari.cg@nic.in · **Phone no. 07722-232560, 232561 Fax no. 07722-236705**

क्रमांक / 922 / जि.पं. / यु.प्रो.यो. / ईओआई / 2016–17 धमतरी, दिनांक 09 / 07 / 2016

Expression of Interest (EOI)

जिले में स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत ग्रामीण युवाओं के समग्र मानसिक एवं बौद्धिक विकास के उद्देश्य से विद्यालयीन स्तर पर साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाईन कैरियर विश्लेषण एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा मार्गदर्शन किया जाना है।

उक्त कार्य हेतु इच्छुक प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। प्रस्ताव हेतु नियम व शर्तें, आवेदन प्रारूप, आवेदन शुल्क, सामान्य जानकारी इत्यादि के लिए जानकारी जिले के वेबसाईट www.dhamtari.gov.in पर डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक संस्थाएं दिनांक 20 जुलाई 2016 तक कार्यालय जिला पंचायत–धमतरी में शाम 5:30 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक से प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–धमतरी

पृ.क्रमांक / 923 / जि.पं. / यु.प्रो.यो. / ईओआई / 2016–17 धमतरी, दिनांक 09 / 07 / 2016

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर।
2. कलेक्टर, जिला धमतरी।
3. महाप्रबंधक, छ.ग.संवाद, रायपुर की ओर प्रदेश स्तरीय 02 बहुप्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अग्रेशित।
4. डीआईओ, एनआईसी, जिला धमतरी को उपरोक्तानुसार विज्ञापन जिले के वेबसाईट में अपलोड करने पालनार्थ।
5. जिला कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–धमतरी

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–धमतरी (छ.ग.)

E-mail add: zp-dhamtari.cg@nic.in Phone no. 07722-232560, 232561 Fax no. 07722-236705

ऑनलाइन कैरियर मार्गदर्शन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति

प्रस्ताव उद्देश्य तथा पृष्ठ भूमि :–

कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं के लगभग 8000 ग्रामीण छात्र–छात्राओं हेतु ऑनलाइन कैरियर मार्गदर्शन किया जाना प्रस्तावित है। प्रतिभागियों की संख्या आवश्यकता अनुरूप कम या ज्यादा हो सकती है।

कैरियर प्रस्ताव विवरण :–

- कैरियर मार्गदर्शन जिले के ग्रामीण शासकीय स्कूलों में कराया जायेगा।
- जिन विद्यार्थियों को कैरियर मार्ग दर्शन देना है, उनका चयन विभाग द्वारा किया जावेगा।
- जिन स्थानों में इंटरनेट सुविधा सुगमता से उपलब्ध होगी, वहां ऑनलाइन परीक्षण कराया जायेगा तथा जहां पर इंटरनेट/कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध न हो, वहां संस्था द्वारा सॉफ्टवेयर बॉक्स स्थापित करके परीक्षण किया जावेगा।
- उपरोक्त कार्य हेतु संस्था का कैरियर मार्गदर्शन वेब पोर्टल हिन्दी भाषा में होना आवश्यक है।
- प्रतिभागी छात्र–छात्राओं का वेब पोर्टल के माध्यम से आनलाईन पंजीयन कर मनोवैज्ञानिक परीक्षण (रूचि, व्यक्तित्व तथा अभिक्षमता, एवं योग्यता) के अनुसार सभी प्रतिभागियों को कैरियर/विषय चुनाव का व्यक्तिगत रिपोर्ट पृथक–पृथक देना अनिवार्य होगा।
- ऑनलाइन परीक्षण हेतु कम्प्यूटर तथा इंटरनेट सुविधा विभाग द्वारा मुहैया कराने का प्रयास किया जावेगा। किसी स्थान पर अगर विभाग यह सुविधा प्रदान न कर सके तो संस्था द्वारा पृथक से यह सुविधा नियोजित की जावेगी।
- संस्था द्वारा वेब पोर्टल उपयोग हेतु आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का प्रबंध किया जायेगा।
- ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु संस्था द्वारा पर्याप्त संख्या में OTP/ पासवर्ड की व्यवस्था की जावेगी।
- ऑनलाइन मार्गदर्शन प्राप्त युवाओं की रिपोर्ट कम से कम छः माह तक वेब पोर्टल पर उपलब्ध रहने की व्यवस्था आवश्यक है।
- संस्था द्वारा काउंसलरों को नियुक्त किया जावेगा तथा प्रत्येक शाला में कम से कम दो कांउसलर शाला में कार्य समाप्ती तक उपस्थित रहेंगें।
- प्रत्येक शाला में संस्था के काउंन्सलरों को कम से कम 4 घंटे का कैरियर मार्गदर्शन शिविर आयोजित करना होगा। प्रति शिविर कम से कम 200 युवा सम्मिलित होगें। शिविर आयोजन हेतु सभागार/स्थल विभाग द्वारा मुहैया कराया जावेगा।
- संस्था द्वारा किये गये उक्त कार्यों के संबंध में समस्त आवश्यक रिपोर्ट/दस्तावेज (आंकड़े) इस विभाग को हार्ड एवं साफ्टकापी में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- चयनित संस्था को सभी विघार्थियो जिनका कैरियर निर्माण हेतु पंजीयन हुआ है छपी हुई कैरियर मार्गदर्शिका उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा मार्गदर्शिका में उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की जानकारी तथा विभिन्न छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी होना आवश्यक है ।

Chief Executive Officer
Zila Panchayat
Dhamtari (C.G.)

नियम व शर्तें :–

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) के अंतर्गत कक्षा दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं के छात्र–छात्राओं के लिए कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु साफ्टवेयर/ऑनलाईन पोर्टल आधारित मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं तत्पश्चात् कैरियर मार्गदर्शन शिविर आयोजित करने हेतु उपयुक्त संस्थाओं से प्रस्ताव (EOI) आमंत्रित किया जाता है :–

1. इच्छुक संस्था दिनांक 20 जुलाई 2016 तक अपना प्रस्ताव कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–धमतरी (छ.ग.) के पते पर स्वयं उपस्थित होकर या डाक से कार्यालयीन समय भामें 5:30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
2. उक्त प्रस्ताव हेतु समस्त आवश्यक जानकारी जैसे–नियम व शर्तें आदि जिले के वेबसाईट dhamtari.gov.in पर डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।
3. प्रत्येक प्रस्ताव के लिए राशि 5000.00 रू. (अक्षरी पांच हजार रू. मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–धमतरी" के पक्ष में देय हो, निविदा शुल्क के रूप में तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना निविदा शुल्क के प्राप्त प्रस्ताव अमान्य कर दी जावेगी।
4. संस्था के पास उचित मानकों के अनुरूप साइकोमेट्रिक परीक्षण पद्धति द्वारा ऑनलाइन कैरियर मार्गदर्शन तथा विश्लेषण करने का पर्याप्त अनुभव हो।
5. इच्छुक संस्था उपरोक्त कार्य के लिए अपना प्रस्ताव पृथक–पृथक दो बंद लिफाफों में तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करनी होगी।
6. तकनीकी प्रस्ताव हेतु संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज हेतु जानकारी **प्रपत्र–अ** में उल्लेखित है।
7. वित्तीय प्रस्ताव संलग्न **प्रपत्र–ब** में उल्लेखित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा।
8. वित्तीय प्रस्ताव में संस्था द्वारा प्रति छात्र प्रस्तावित व्यय में सर्विस टैक्स इत्यादि को जोड़कर प्रस्तुत करें, जिसमें प्रति छात्र प्रस्तावित किये गये दर का मदवार विवरण पृथक से संलग्न करना अनिवार्य है।
9. विभाग द्वारा सर्वप्रथम इच्छुक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत तकनीकी प्रस्ताव को खोला जावेगा।
10. तकनीकी प्रस्ताव में अर्हताधारी संस्थाओं को उक्त कार्य के संबंध में प्रस्तुतीकरण देनी होगी जिसमें संस्था के आनलाईन पोर्टल के माध्यम से कैरियर गाईडेंस प्रावधान का विस्तृत आनलाईन प्रस्तुतीकरण किया जाना अनिवार्य है।
11. तकनीकी प्रस्ताव में अर्हताधारी संस्था जिनका विस्तृत आनलाईन तथा कम्प्यूटरीकृत प्रस्तुतीकरण संतोशजनक पाये जाने के उपरांत ही उन्हीं संस्था का वित्तीय प्रस्ताव खोला जावेगा।
12. संस्था का कैरियर निर्देशन हेतु हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में कार्य अनुभव आवश्यक है।
13. आवेदन करने वाली संस्था का CIN नम्बर होना अनिवार्य है।
14. संस्था के प्रमुख संस्थापकों के पास छत्तीसगढ़ राज्य में कम से कम 10,000 छात्र–छात्राओं को अभिरूचि, कैरियर मार्गदर्शन, परामर्श एवं कैरियर समाधान प्रदान करने का अनुभव होना आवश्यक है, इस बाबत् संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
15. संस्था के पास वेब बेस्ड (ऑनलाइन) तथा पेपर पेंसिल (ऑफलाइन) परीक्षण एवं आंकलन करवाने की योग्यता होना अनिवार्य है। संस्था का स्वयं का ऑनलाइन असेंसमेट का पोर्टल लाइव (चालू स्थिति में) होना चाहिए तथा पोर्टल तत्काल प्रभाव से प्रयोग करने की स्थिति में हो।
16. संस्था में स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति (प्रोफेशनल्स) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पीएचडी डिग्रीधारी हो, जो मनोविज्ञान या एच. आर.एम (मानव संसाधन) विषय में मानद उपाधि प्राप्त किया हो आवश्यक है ।
17. संस्था या उनके संस्थापकों द्वारा लिखित कैरियर मार्गदर्शन/प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में कोई पुस्तक भारत सरकार या राज्य शासन द्वारा प्रमाणित प्रकाशक द्वारा प्रकाशित होना अनिवार्य है। प्रकाशित पुस्तक का ISBN क्रमांक होना भी अनिवार्य है।
18. संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में कैरियर सेवा देने के क्षेत्र में अनुभव हो, तथा राज्य के सुदुर एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षो के अंतर्गत कैरियर मार्गदर्शन तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण कैम्प लगाने का अनुभव होना आवश्यक है। इस बाबत् समुचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
19. संस्था द्वारा कैरियर परीक्षण हेतु प्रयोग किये जाने वाले ऑनलाइन प्रपत्र का निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य में कम से कम 15 वर्षो का अनुभव रखने वाले मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया हो तथा प्रस्ताव में इन मनोवैज्ञानिकों का परिचय–विवरण संलग्न हो।
20. संस्था का छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यालय होना अनिवार्य है। कार्यादेश जारी होने की स्थिति में संस्था का धमतरी में एक नोडल ऑफिस होना आवश्यक रहेगा तथा एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति जिले के उक्त नोडल कार्यालय के लिए की जानी होगी। नोडल ऑफिस एवं नोडल ऑफिसर का अस्तित्व संस्था द्वारा लिये गये कार्य को संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक संपन्न होने तथा उक्त कार्य के संबंध में संस्था को विभाग द्वारा देयक अंतिम किस्त की राशि के भुगतान होने तथा समुचित उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तक बरकार रहना आवश्यक होगा।
21. चयनित संस्था के काम–काज/कैरियर मार्गदर्शन कार्य का नियमित मासिक समीक्षा की जावेगी यदि दो मासिक समीक्षा में संस्थान के कार्यकलाप संतोषजनक नही पाये जाते है तो संस्था का अनुबंध निरस्त की जा सकती है ।
22. किसी भी विवाद या अनिर्णय की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा, तथा विवाद के निपटारा हेतु धमतरी न्यायालय में ही अपील की जा सकेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–धमतरी

G:\CEO LETTER 2016-17.doc